27/8/20
07/10/20
24/9 pus (18/11)
12/5

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई   मुकाम   किशनगढ़ (अजमेर)

1. संतोष उर्फ सन्तोक देवी पत्नि स्व0 जगदीश उम्र करीबन 31 वर्ष जाति बागरिया निवासी ग्राम चौसला हाल निवासी ग्राम ज्याना की ढाणी छोटा लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रार्थीगण

बनाम

1. जेठी पत्नि स्व0 भूरा जाति बागरिया निवासी ग्राम चौसला तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा – 212 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 367 / 2020

ऑनलाइन नंबर 2020 / 00363

वकील प्रार्थीगण रामदेव गुर्जर   वकील अप्रार्थीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.07.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र पर चेक रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे वकील प्रार्थी का अन्तरिम स्थगन पर एक पक्षीय सुना गया । पत्रावली मे उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः ग्राम चौसला स्थित खसरा न0 378,380,381 भुमि का आगामी तारीख पेशी तक किसी राजस्व रिकॉर्ड का स्थानान्तरण/ रहन/ सपरिवर्तन/ खुर्द गुर्द नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 27.08.2020 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
27.08.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रतिवादी सं. 4 व 5 उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. पेश किया जो शामिल मिसल वादी वकील श्री रामदेव गुर्जर को नोटिस कराया नोटिस सं. 1 से 7 तामिल प्राप्त। P.O. साहब पंचायत समिति पर आयोजित कैम्प में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07.10.2020 को पेश हो। [signature]	[signature] हरिराम
07.10.2020	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनुपस्थित पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 03/12/2020 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
5/6/15	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण 1,2,3,6,7 को शाम 06:00 बजे तक तीन बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे अनुपस्थित हैं अतः अप्रार्थीगण 1,2,3,6,7 को जवाब पेश किया जाता है वास्ते बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. हेतु दिनांक 05/07/2015 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मसूदा(अजमेर)	
05/7/15	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप./वकील प्रार्थी की प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर बहस सुनी गयी वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26/7/2015 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	
26/7/2015	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली विचाराधीन निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार जमा हो। उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	

न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 367/2020 *उनवान सन्तोष बनाम जेठी*

सन्तोष उर्फ सन्तोक देवी पत्नी स्व. जगदीश उम्र 31 साल व अन्य निवासी ग्राम चौसला हाल निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
—प्रार्थीगण

बनाम

जेठी पत्नी भूरा जाति बागरिया निवासी ग्राम चौसला तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।
—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 26.07.2024

उपस्थितः— वकील प्रार्थी दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री रामेदव गुर्जर के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 30.07.2020 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 367/2020 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण, भूरा वल्द बगतिया के वारिसान है तथा उनके पारिवारिक सजरे के अनुसार भूरा के जेठी पत्नी, प्रकाश पुत्र जो वर्तमान में फौत हो चुका है, उसके दो पुत्र है राजू व जगदीश। जगदीश वर्तमान में फौत हो चुका है तथा प्रार्थीगण जगदीश के वारिसान है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम चौसला के वर्तमान खाता संख्या 88 के वर्तमान खसरा संख्या 378 रकबा 0.4450 हैक्टेयर, खसरा संख्या 380 रकबा 0.2670 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.120 हैक्टैयर भूमि ग्राम चौसला तहसील अरांई में स्थित है उक्त आराजी में मूल खातेदार बगतीया बागरिया था जिसके फौत होने के बाद अप्रार्थ संख्या 01 व 02 के नाम विरासत के उक्त भूमि नाम दर्ज हुई उक्त आराजी में प्रार्थीयागण का जन्म से विरासत के अनुसार हिस्सा निहित है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 व 02, प्रार्थीयागण को उसकी भूमि से बेदखल करना चाहतें हैं तथा अन्य को बेचान करने पर उतारू हैं अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीयागण की पैतृक आरजी ग्राम चौसला स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 88 के खसरा संख्या 378, 380 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7120 हैक्टैयर, खाता संख्या 87 रकबा 381 रकबा 0.3883 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के विधिक हिस्से तक उक्त भूमि के बेचान नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के लिये लाफैसला अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

गणों को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 04, 05 उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि अप्रार्थी ..या 04 व 05 केवल सहखातेदार है उनके विरूद्ध कोई भी अनुतोष श्रीमान से नहीं चाहा गया है। दिनांक ..4.09.2021 को प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 04 व 05 केवल सहखातेदार है उनके विरूद्ध कोई भी अनुतोष श्रीमान से नहीं चाहा गया है अतः उन्हे स्थगन आदेश से मुक्त किया जावे। हमारे द्वारा प्रार्थीया को सुना गया तथा अप्रार्थी संख्या 04, 05 को स्थगन आदेश से मुक्त किया गया। प्रार्थना पत्र में दिनांक 21.06.2024 तक भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 06, 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05.07.2024 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन किया गयाः–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण– प्रार्थीया द्वारा मूल वाद धारा 88 राज.का.अधि. 1955 के तहत व हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 08 के तहत पेश किया है तथा घोषणात्मक डिक्री का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीया का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार पैतृक भूमि में हिस्सा निहित है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन– प्रार्थीया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार पैतृक भूमि में हिस्सा निहित है। प्रार्थीया के निहित हिस्से में कब्जे काश्त में दखल करने से प्रार्थीया को असुविधा होगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
3. अपूरणिय क्षति– प्रार्थीया विधवा महिला है , अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में मदाखलत करतें हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणिय क्षति होगी।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 , 02 को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम चौसला स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 88 के खसरा संख्या 378, 380 कुल किता 02 कुल रकबा 0. 7120 हैक्टैयर, खाता संख्या 87 रकबा 381 रकबा 0.3883 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के विधिक हिस्से तक की भूमि के बेचान नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तय किये जायेंगें।

आदेश आज दिनांक 26/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई